ऑन लाईन नं. **RCMS 2013/00059**

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : भवानी सिंह पंवार, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 19/2013

1. जलालिया पुत्र श्री रिखिया जाति सांसी निवासी जण्डावाली तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0) —मृतक—
   - 1/1 गंगूराम
   - 1/2 लालाराम
   - 1/3 बखुराम
   - 1/4 लच्छुराम
   - 1/5 मंगुराम
   - 1/6 रमेश
   - 1/7 कम्मोदवी

   } पुत्रगण/पुत्रीगण जालालियां जातियान सांसी निवासीयान जण्डावाली तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
2. कालुराम पुत्र श्री जलालिया जाति सांसी निवासी जण्डावाली तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0) —मृतक—
   - 2/1 चूनकीदेवी पत्नी कालुराम पुत्र जालालिया
   - 2/2 सुनील पुत्र कालुराम पुत्र जालालिया
   - 2/3 रानी पुत्री कालुराम पुत्र जालालिया
   - 2/4 किरण पुत्री कालुराम पुत्र जालालिया

   } कौम सांसी निवासी हाल श्रीगंगानगर जरिये कुदरतीवली माता चूनकी देवी पत्नी कालूराम निवासी हाल श्रीगंगानगर।
3. गंगोदेवी पुत्री जालालिया जाति सांसी निवासी हाल श्रीगंगानगर। —मृतक—

   3/1 शेरूराम पुत्र गंगो पुत्री जालालिया जाति सांसी निवासी श्रीगंगानगर —मृतक—

   3/1/1 गीता पत्नी शेरूराम पुत्र गंगो पुत्री जालालिया जाति सांसी निवासी पुरानी आबादी वार्ड नम्बर 08, श्रीगंगानगर।
   - 3/1/2 किरणा पुत्री शेरूराम नाबालिग
   - 3/1/3 काजल पुत्री शेरूराम नाबालिग
   - 3/1/4 स्नेहा पुत्री शेरूराम नाबालिग

   } जरिये कुदरतीवली माता गीता पत्नी शेरू राम जाति सांसी निवासी वार्ड नं.8 पु.आ. श्रीगंगानगर
   - 3/2 सोमू
   - 3/3 राजू

   } पुत्रगण गंगो पुत्री जलालियां जाति सांसी निवासीयान हाल श्रीगंगानगर।
4. शान्ति देवी पुत्री जलालिया जाति सांसी निवासी हाल श्रीगंगानगर —मृतक—
   - 4/1 गंगाराम पुत्र शान्तिदेवी पुत्री जलालिया जाति सांसी निवासी हाल श्रीगंगानगर
   - 4/2रोशनलाल पुत्र शान्तिदेवी पुत्री जलालिया जाति सांसी निवासी हाल श्रीगंगानगर
   - 4/3 मुकेश पुत्र शान्तिदेवी पुत्री जलालिया जाति सांसी निवासी हाल श्रीगंगानगर

अपीलार्थी

बनाम

1. लाली पत्नी बग्गूराम —मृतक—
   - 1/1 मखन राम पुत्र श्री लाली जाति सांसी निवासी पु0 आ0 श्रीगंगानगर
   - 1/2 किशनलाल पुत्र लाली जाति सांसी —मृतक—
     - 1/2/1 शीलो पुत्री श्री किशनलाल
     - 1/2/2 मधु पुत्री श्री किशनलाल

     } निवासी वार्ड नं.08 पुरानी आबादी श्रीगंगानगर।
   - 1/3 गुलाबिया उर्फ शंकर
   - 1/4 लक्ष्मीदेवी उर्फ लच्छो
   - 1/5 रेशमी
   - 1/6 शीलो
   - 1/7 सुन्दो
   - 1/8 चान्दो

   } पुत्र/पुत्रीया लाली जातियान सांसी निवासीयान पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर (राज0)

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

नन्दूराम पुत्र श्रीमती लालदेवी पत्नी बग्गूराम जाति सांसी निवासी पुरानी आबादी श्रीगंगानगर (राज0) —मृतक—

2/1 भागोदेवी
2/2 सोनू पुत्र
2/3 मोनू पुत्र
2/4 बबलू पुत्री
2/5 सपना पुत्री
2/6 आशा पुत्री
2/7 निको पुत्री

} श्री ममदूराम जाति सांसी निवासीयान पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर (राज0)

3. खाना पत्नी बग्गूराम जाति सांसी निवासी पुरानी आबादी श्रीगंगानगर।
   3/1 शान्ति देवी पत्नी खानाराम लालीदेवी पत्नी बग्गूराम जाति सांसी निवासी पुरानी आबादी श्रीगंगानगर (राज0) —मृतक—
   3/2 कालुराम
   3/3 बानिया
   } पिसरान खानाराम लालीदेवी पत्नी बग्गूराम जातियान सांसी निवासीयान पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर।
4. रामचन्द पुत्र लालीदेवी —मृतक—
   4/1 रेशमीदेवी पत्नी श्री राचन्द पुत्र लालीदेवी पत्नी श्री बग्गूराम जाति सांसी निवासी पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर (राज0)
   4/2 विजय पुत्र रामचन्द पुत्र लालीदेवी पत्नी श्री बग्गूराम जाति सांसी निवासी पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर (राज0)
5. गंगोदेवीस पुत्री जलालिया
   5/1 नन्दराम पत्नी गंगोदेवी पुत्री जलालिया निवासी हाल श्रीगंगानगर —मृतक—
   5/2 आशा पुत्री गंगोदेवी पुत्री जलालिया निवासी हाल श्रीगंगानगर —मृतक—
   5/3 भागो पुत्री गंगोदेवी पुत्री जलालिया निवासी हाल श्रीगंगानगर —मृतक—
   5/4 मीरोदेवी पुत्री गंगोदेवी पुत्री जलालिया निवासी हाल श्रीगंगानगर —मृतक—
   5/5 गोनोदेवी पुत्री गंगोदेवी पुत्री जलालिया निवासी हाल श्रीगंगानगर —मृतक—
6. शान्तिदेवी पुत्री जलालिया जाति सांसी निवासी हाल श्रीगंगानगर —मृतक—
   6/1 विक्की पुत्र
   6/2 गीता पुत्री
   6/3 सुनीता पुत्री
   6/4 सीमा पुत्री
   6/5 मंगो पुत्री
   } शान्तिदेवी पुत्री जलालिया जाति सांसी निवासीयान हाल श्रीगंगानगर (राज0)
7. सुखी पत्नी श्री जलालिया जाति सांसी निवासी जण्डावाली तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0) —मृतक—
8. चिड़ी पुत्री श्री रिखीया जाति सांसी निवासी जण्डावाली —मृतक निसंतान—
9. सोनकी पुत्री श्री रिखीया जाति सांसी निवासी जण्डावाली — मृतक निसंतान—

रेस्पोडेन्टस

<u>अपील विरूद्व आदेश न्यायालय जिला पुर्नवास अधिकारी, एवं उपखण्ड अधिकारी राजस्व हनुमानगढ दिनांक 19.12.2012 प्रकरण संख्या 147/2010 शीर्षक लाली पत्नी बग्गूराम मृतक वगैरा बनाम जलालिया मृतक वगैरा अन्तर्गत विस्थापित व्यक्तियों के मुआवजा व पुर्नभरण अधिनियम 1954 जिसके अन्तर्गत जलालिया को आवंटित भूमि की जारी सनद संख्या 2782 दिनांक 22.06.1987 में दर्ज तमाम सदस्यों के नाम उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने का आदेश तहसीलदार हनुमानगढ को दिया गया को निरस्त करवाने हेतु</u>

उपस्थित :

1. श्री काशीराम रणवा, अधिवक्ता, अपीलार्थी
2. श्री तेजा सिंह सन्धू अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस

::आदेश :: दिनांक :—11.10.2020

जिला कलक्टर (प्रशासन)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशा...

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ कानून , वाकेयात व इन्साफ व बिना अधिकार जारी किया गया होने से निरस्त किये जाने योग्य है। जलालिया पुत्र रिखीया जो अपीलांट के पूर्वज थे, को चक 8 जेआरके के पत्थर नम्बर 84/257 के किला नम्बर 1 ता 4 , 6 ता 20, 23 ता 25 की 22 बीघा भूमि व चक 9 जेआरके पत्थर नम्बर 83/257 के किला नम्बर 4 ता 7 , 14 ता 16 की कुल 6.18 बीघा कुल तादादी 28 बीघा 18 बिस्वा भूमि पुर्नस्थापन्न हेतु आवंटित की गयी थी और जलालिया की मृत्यु के बाद इसकी सनद जलालिया के 11 वारिसान के नाम जारी करने का आदेश जिला पुर्नवास श्रीगंगानगर द्वारा दिया गया था परन्तु जो सनद जारी की गयी उसमें क्र.स. 12 से 16 के स्थान पर बखुराम , लाली वगैरा का नाम जोड़ दिया गया जिसके विरूद्व अपील निगरानी होते हुए अतं में प्रकरण सम्भागीय आयुक्त बीकानेर संभाग बीकानेर के यहां उक्त अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत पारित निर्णय दिनांक 08.08. 2000 के अनुसरण में पत्रावली जिला पुर्नवास अधिकारी श्रीगंगानगर को प्रकरण का गुण--दोष के आधार पर निर्णय करने हेतु प्रतिप्रेषित की गयी। आदेश दिनांक 08.08.2000 के अनुसरण में यह पत्रावली सम्भागीय आयुक्त बीकानेर द्वारा अपने पत्र कमांक संख्या 712 दिनांक 07.06.2005 से जिला पुर्नवास अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर को प्रेषित की गयी जो इस प्रकरण का निस्तारण करने में सक्षम अधिकारी थे, परन्तु बाद में पुर्नवास विभाग से सम्बन्धित तमाम अधिनियम 2005 के निरसन अधिनियम द्वारा निरसन किये जाने पर राज्य सरकार के पत्र दिनांक 6 अक्टूबर 2009 का गलत हवाला देते हुए यह प्रकरण प्रभारी पुर्नवास अधिकारी के पत्र कमांक 90 दिनांक 23.04.2010 से परिपत्र दिनांक 7.10.2009 का गलत हवाला देते हुए यह प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को भेज दिया और इस पर अधीनस्थ न्यायालय ने इस प्रकरण का निस्तारण अपने आदेश दिनांक 19.12.2012 से करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। सम्भागीय आयुक्त बीकानेर द्वारा प्रश्नगत प्रकरण डी.पी.एक्ट के प्रावधान के अन्तर्गत प्रकरण का गुणदोष के आधार पर निर्णय करने हेतु जिला पुर्नवास अधिकारी श्रीगंगानगर को प्रतिप्रेषित किया था। यह प्रकरण जलालिया को पूर्व में आवंटित भूमि व उस भूमि की जारी सनद के सम्बन्ध में गुण--दोष का निर्णय करने हेतु जिला पुर्नवास श्रीगंगानगर के कार्यालय को प्रेषित किया गया जो वहां लम्बित था। डी.पी.एक्ट के अन्तर्गत जिला पुर्नवास अधिकारी का पद श्रीगंगानगर व हनुमानगढ दोनो जिलों के लिए केवल गंगानगर में ही स्थापित किया हुआ था और यह पद श्रीगंगानगर के उपखण्ड अधिकारी महोदय श्रीगंगानगर को ही दिया गया था और इस प्रकरण का निस्तारण केवल जिला पुर्नवास अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी राजस्व श्रीगंगानगर ही कर सकते थे, यह प्रकरण उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ को हस्तान्तरित नहीं हो सकता था और न वे इस प्रकरण का निस्तारण कर सकते थे। उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ को पुर्नवास अधिकारी के अधिकार नहीं थे, उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ ने पुर्नवास अधिकारी के पद का व अधिकारों का गलत रूप से ग्रहण कर अधिकारों का अनाधिकृत प्रयोग कर जो आदेश जेर अपील पारित किया है वह इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है। इस प्रकरण को हनुमानगढ भेजे जाने से राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 06.10.2009 का हवाला दिया गया है। राज्य सरकार के इस परिपत्र के पेज नम्बर 2 व 3 पर यह स्पष्ट किया गया है कि निरसित अधिनियम के अन्तर्गत भूमियों का आवंटन किया जा चुका है जिनके लम्बित प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही की जानी है या ऐसे प्रकरणों के अधिकार सृजित किये जा चुके है एवं प्रकरण लम्बित है उनका निस्तारण निरस्त अधिनियमों के अन्तर्गत ही किया जाना है। इस परिपत्र में यह स्पष्ट किया जा चुका था कि उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के आधार पर विचाराधीन प्रकरणों का निस्तारण निरसत अधिनियम के अन्तर्गत ही किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त इस परिपत्र में यह भी स्पष्ट कर दिया गया था कि जिन प्रकरणों में अधिकार सृजित या अर्जित नहीं किये गये है उनके बारे में कार्यवाही इस परिपत्र के अनुसार की जानी थी। इस प्रकरण में अधिकार पूर्व में सृजित व अर्जित हो चुके थे और प्रकरण अन्तिम निस्तारण हेतु ही लम्बित चल रहा था और ऐसी सूरत में इस प्रकरण का निस्तारण निरसत अधिनियम के अन्तर्गत

नियुक्त किये गये अधिकारी ही इस प्रकरण का निस्तारण ही कर सकते थे और वह अधिकारी केवल जिला पुर्नवास अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी राजस्व श्रीगंगानगर ही थे। इस प्रकरण में भूमि जलालिया पुत्र रिखीया को बतौर पूर्नस्थापित व्यक्ति उसको पुर्नस्थापन ग्रान्ट के रूप में अलॉट की गयी थी और यह भूमि जलालिया को अपने परिवार के पालन, पोषण करने हेतु आवंटित की हुई थी। जलालिया ने भूमि को आवंटन करवाने हेतु अपने परिवार के रूप में परिवार के सदस्य दर्शाये होंगे परन्तु यह भूमि इन सदस्यों को आवंटित नहीं हुई थी। आवंटिती केवल जलालिया ही थे और इसकी सनद केवल जलालिया के नाम से ही जारी की जा सकती थी और ऐसा निर्णय उच्च न्यायालय जोधपुर एवं राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा भी दिया जा चुका है और यह निर्णय आर.आर.डी. 1992 पेज 611 व डब्ल्यू एल एन (यू.सी.) 1974 पेज 12 पर उद्घृत की गयी है। जलालिया के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति के हक में सनद जारी नहीं की जा सकती थी। अधीनस्थ न्यायालय ने जलालिया के वारिसान के अतिरिक्त लाली वगैरा के नाम से भी सनद जारी करने का जो आदेश दिया है वह निरस्त होने योग्य है। भूमि आवंटन के पश्चात जलालिया पुत्र रिखीया का देहान्त हो गया था और जलालिया के देहान्त के बाद जिला पुर्नवास अधिकारी ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए जलालिया के वारिसान सनद में दर्ज क्रम संख्या 01 से 11 में अंकित व्यक्तियों को जलालिया का वारिस घोषित कर दिया था और पुर्नवास अधिकारी ने जलालिया के इन वारिसान के नाम सनद जारी करने का आदेश दे दिया था परन्तु कार्यालय से जो सनद गलती से बनाई गई उसमें जलालिया के वारिसान क्रम संख्या 1 से 11 जो सही अंकित किये गये थे, के अतिरिक्त क्रम संख्या 12 से 16 के नाम से 5 नाम और जोड़ दिये गये परन्तु जब यह प्रारूप हस्ताक्षरों के लिए पुर्नवास अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत हुआ तो उन्होने उसमें यह नोट अंकित कर दिया कि एम ओ श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण संख्या 84/85 में दिये गये आदेश दिनांक 17.07.1985 द्वारा निर्णय के अनुसार यह सनद प्रभावी होगी और इससे सनद में क्रम संख्या 12 से 16 पर दर्ज व्यक्तियों को कोई अधिकार नहीं मिले थे और इनके नाम निष्प्रभावी थे। इसकी पुष्टि चीफ सैटलमेन्ट कमीश्नर ने भी अपने निर्णय दिनांक 19.03.1998 से कर दी थी। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश के बावजूद बिना अवलोकन किये आदेश जेर अपील पारित करने में सख्त गलती की है। अधीनस्थ न्यायालय ने जलालिया व बग्गू के पारिवारिक सम्बन्धों व दोनो के साथ रहने व संयुक्त परिवार कायम करने व जलालिया के परिवार का मुखिया होने का कथन करते हुए जो आदेश पारित किया है वह कतई गलत होने से निरस्त होने योग्य है। जलालिया व बग्गू दोनो भाई अवश्य थे परन्तु जलालिया, बग्गू का बड़ा भाई न होकर बग्गू जलालिया से कई वर्ष बड़ा अवश्य था। इन दोनो का संयुक्त परिवार नही था। दोनो भाई अलग अलग थे। दोनो भाईयों ने अपने अपने नाम से अलग–अलग भूमि आवंटन करवाने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था और इस पर जलालिया को वादग्रस्त कृषि भूमि चक 8 व 9 जेआरके में आवंटित हुई थी और बग्गू को चक 6 पीएसडीए व 9 पीएसडीए रोजड़ी क्षेत्र में घड़साना तहसील में आवंटन हुई थी और यह भूमि आज के दिन बग्गू की मृत्यु के बाद उनके वारिसान के नाम से खातेदारी दर्ज चली आ रही है। अधीनस्थ न्यायालय ने यह भी गलत अंकित किया है कि यदि दोनो भाई अलग–अलग होते तो अलग–अलग आवंटन करवाते। अधीनस्थ न्यायालय ने बग्गू द्वारा अलाटमेन्ट करवायी गयी उक्त भूमि के तथ्य को नजर अन्दाज कर बिना कोई साक्ष्य व रिकॉर्ड के अपना निष्कर्ष निकाल कर गलत निर्णय किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने जलालिया व बग्गू द्वारा भूमि को संयुक्त काश्त करना व दोनो द्वारा भूमि की किश्तें दाखिल करने का भी गलत निष्कर्ष निकाला है। अधीनस्थ न्यायालय के किसी निष्कर्ष का कोई आधार व साक्ष्य मिसल पर मोजूद नहीं है। भूमि की सारी राशि जलालिया ने खुद अकेले ने ही जमा करवायी है। अलाटमेंट जलालिया को उसके नाम से हुआ था। इस भूमि में किसी अन्य का कोई हक नहीं था। बग्गू का अलग परिवार था उसने अपने परिवार के लिए अलग से आवेदन–पत्र देकर चक 6 व 9 पीएसडीए में भूमि आवंटित करवाई है। बग्गू व उसके परिवार के किसी सदस्य का जलालिया के परिवार में नाम दर्ज नहीं है। जलालिया के भाई के रूप में

(प्रशासन) अतिरिक्त जिला कलक्टर

बखूराम व उसकी पत्नी का नाम दर्ज है। बखूराम बग्गू नहीं हो सकता। लाली जिसे भाई की पत्नी बताया गया वह बखू की पत्नी है लड़का जिसका हवाला दिया गया है वह जलालिया का लड़का है जिसका पूर्व में देहान्त हो चुका था। यह लड़का बखू का भी नहीं था क्योंकि यदि बखू का लड़का होता तो उसे भाई का लड़का दर्शाया जाता जो नहीं दर्शाया गया है। जलालिया ने अपने परिवार के सदस्यों की भूमि अपने आवेदन पत्र जो एम ओ को दिनांक 16.09.1952 को दिया उसमें दर्शा दिया था। अधीनस्थ न्यायालय ने बखूराम को बग्गू बिना किसी आधार व बिना साक्ष्य व कथन के मानने में स्वयं का जो निष्कर्ष निकाला है वह आधारहीन है। अधीनस्थ न्यायालय ने जलालिया के शपथ–पत्र का हवाला दिया है इस पर जलालिया की कोई निशानी, अंगूठा व हस्ताक्षर नहीं है और ऐसा शपथ–पत्र सत्यापित भी नहीं है। इस बारे में गलत निष्कर्ष निकाल कर जो निर्णय दिया है वह निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने पुर्नवास अधिकारी द्वारा बग्गू को भूमि हिस्सेदार मानकर भूमि विभाजन करने व पृथक कब्जा देने की कार्यवाही कतई अधिकार विहीन थी। इस कार्यावाही को अधिकार विहीन होना सम्भागीय आयुक्त बीकानेर ने ही अपने आदेश दिनांक 08.08.2000 को घोषित कर दिया है। सम्भागीय आयुक्त ने आदेश दिनांक 19.04.1985 को भी निरस्त कर दिया है। इस निरस्ती आदेश को अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय का गलत आधार बनाया है। इस अधिकार विहीन आदेश घोषित कर देने के उपरान्त अधीनस्थ न्यायलय ने उक्त अधिकार विहीन भूमि विभाजन व कब्जा देने के आदेश जो निरस्त हो चुका है का सहारा लेकर इस गलत कार्यवाही का आधार मानकर जो आदेश जेर अपील पारित किया है वह निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 19.12.2012 निरस्त फरमाया जावे व जलालिया के वारिसान के नाम सनद की पुष्टि की जावें।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि जलालिया पुत्र रिखीया को चक 8 जेआरके के पत्थर नम्बर 84/257 के किला नम्बर 1 ता 4 , 6 ता 20, 23 ता 25 की 22 बीघा भूमि व चक 9 जेआरके पत्थर नम्बर 83/257 के किला नम्बर 4 ता 7 , 14 ता 16 की कुल 6.18 बीघा कुल तादादी 28 बीघा 18 बिस्वा भूमि जीवों के आधार पर आवंटन हुई थी जिसमें सनद की क्रम संख्या 12 ता 16 पर अंकित सदस्य भी उक्त भूमि पाने के अधिकारी थे क्योंकि क्र.स. 12 ता 16 पर अंकित सदस्य उस परिवार के सदस्य थे। " अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में यह भी कथन किया कि उक्त अपील सुनने का क्षेत्राधिकारी श्रीमान न्यायालय को नहीं है क्योंकि :–

> "राजस्थान सरकार, राजस्व (पुर्नवास) विभाग के पत्रांक एफ–1(15)राजस्व/पुर्नवास/ 2009 जयपुर दिनांक 06 अक्टूबर 2009 के अनुसार **निरसित केन्द्रीय अधिनियमों एवं सुसंगत राज्य विधियों के अन्तर्गत बकाया कार्यो का निस्तारण** :– इस सम्बन्ध में इस विभाग के पूर्व पत्र क्रमांक प.6(5)राज–96/पार्ट दिनांक 05.11.2008 द्वारा भारत सरकार के पत्र क्रमांक:MHA/RD/SW/CC/99 दिनांक 22.09.2008 की प्रति सभी जिला कलेक्टर्स को भेज कर अपेक्षा की गई थी कि बकाया प्रकरणों का निस्तारण भारत सरकार के इस पत्र दिनांक 22.09.2008 में दिये गये निर्देशानुसार किया जावें।

उक्त विवादित भूमि जिला कलक्टर हनुमानगढ के क्षेत्र की होने के कारण उक्त प्रकरण का निस्तारण जिला पुनर्वास अधिकारी, हनुमानगढ द्वारा किया जाना है। क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में सिविल न्यायाधीश संख्या–1 श्रीगंगानगर द्वारा परिवाद संख्या 98/1997 अनवानी लच्छूराम पुत्र जलालिया आदि बनाम स्टेट वगैरा निर्णय दिनांक 05.05.2017 से उक्त परिवाद सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं होने के कारण परिवाद खारिज किया गया है। सम्भागीय आयुक्त महोदय बीकानेर ने पेटीशन डी.पी.एक्ट 02/1998 अनवानी लाली वगैरा बनाम लच्छूराम वगैरा निर्णय दिनांक 08 अगस्त 2000 द्वारा जिला पुनर्वास अधिकारी के

अतिरिक्त जिला कलक्टर

आदेश दिनांक 19.04.1985 व17.07.1985 एवं सनद 2782 पर पारित आदेश दिनांक 22.06.1987 तथा चीफ सेटलमेंट कमिश्नर का आदेश दिनांक 09.03.1998 निरस्त किये जा चुके है। जब पूर्व के समस्त आदेश निरस्त किये जा चुके है, तो अपीलांट को अपील करने से पूर्व डीआरओ से वारिस घोषित करवाये जाने थे जो अपीलांट द्वारा नहीं करवाये गये है जिससे उक्त अपील लाय नहीं करती है। उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त करने के लिए बखुराम ,लाली वगैरा ने 1979 में प्रार्थना पत्र लगाया था जिसके सम्बन्ध में वर्ष 1985 में कब्जा देने के आदेश पारित किये जा चुके है। अतः अपील अपीलांट निष्प्रभावी होने से खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा निम्न दस्तावेजात पेश किये गये :–

1. एमएचए / आर.डी. / एसडब्लयू / सीसी / 99 Government of India Ministry of home Affairs dated 19 October 2005
2. Government of India Ministry of home Affairs Rehabilltation Division Settlement Section No(11)/ spl.cell/88-SS-II/S (C)

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि जलालिया पुत्र रिखीया जो अपीलांट के पूर्वज थे, को चक 8 जेआरके के पत्थर नम्बर 84 / 257 के किला नम्बर 1 ता 4 , 6 ता 20, 23 ता 25 की 22 बीघा भूमि व चक 9 जेआरके पत्थर नम्बर 83 / 257 के किला नम्बर 4 ता 7 , 14 ता 16 की कुल 6.18 बीघा कुल तादादी 28 बीघा 18 बिस्वा भूमि पुर्नस्थापन हेतु आवंटित की गयी थी और जलालिया की मृत्यु के बाद इसकी सनद जलालिया के 11 वारिसान के नाम जारी करने का आदेश जिला पुर्नवास श्रीगंगानगर द्वारा दिया गया था परन्तु जो सनद जारी की गयी उसमें क्र.स. 12 से 16 के स्थान पर बखुराम , लाली वगैरा का नाम जोड़ दिया गया जिसके विरूद्व अपील निगरानी होते हुए अतं में प्रकरण सम्भागीय आयुक्त बीकानेर के यहां उक्त अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत पारित निर्णय दिनांक 08.08.2000 के अनुसरण में पत्रावली जिला पुर्नवास अधिकारी श्रीगंगानगर को प्रकरण का गुण–दोष के आधार पर निर्णय करने हेतु प्रतिप्रेषित की गयी। आदेश दिनांक 08.08.2000 के अनुसरण में यह पत्रावली सम्भागीय आयुक्त बीकानेर द्वारा अपने पत्र कमांक संख्या 712 दिनांक 07.06.2005 से जिला पुर्नवास अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर को प्रेषित की गयी जो इस प्रकरण का निस्तारण करने में सक्षम अधिकारी थे, परन्तु बाद में पुर्नवास विभाग से सम्बन्धित तमाम अधिनियम 2005 के निरसन अधिनियम द्वारा निरसन किये जाने पर राज्य सरकार के पत्र दिनांक 6 अक्टूबर 2009 का गलत हवाला देते हुए यह प्रकरण प्रभारी पुर्नवास अधिकारी के पत्र कमांक 90 दिनांक 23.04.2010 से यह प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को भेज दिया और इस पर अधीनस्थ न्यायालय ने इस प्रकरण का निस्तारण अपने आदेश दिनांक 19.12.2012 से करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। सम्भागीय आयुक्त बीकानेर द्वारा प्रश्नगत प्रकरण डी.पी.एक्ट के प्रावधान के अन्तर्गत प्रकरण का गुणदोष के आधार पर निर्णय करने हेतु जिला पुर्नवास अधिकारी श्रीगंगानगर को प्रतिप्रेषित किया था। यह प्रकरण जलालिया को पूर्व में आवंटित भूमि व उस भूमि की जारी सनद के सम्बन्ध में गुण–दोष का निर्णय करने हेतु जिला पुर्नवास श्रीगंगानगर के कार्यालय को प्रेषित किया गया जो वहां लम्बित था। डी.पी.एक्ट के अन्तर्गत जिला पुर्नवास अधिकारी का पद श्रीगंगानगर व हनुमानगढ दोनो जिलों के लिए केवल गंगानगर में ही स्थापित किया हुआ था और यह पद श्रीगंगानगर के उपखण्ड अधिकारी महोदय श्रीगंगानगर को ही दिया गया था। इस प्रकरण का निस्तारण केवल जिला पुर्नवास अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी राजस्व श्रीगंगानगर ही कर सकते थे, यह प्रकरण उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ को हस्तान्तरित नहीं हो सकता था और न वे इस प्रकरण का निस्तारण कर सकते थे। उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ को पुर्नवास अधिकारी के अधिकार नहीं थे, उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ ने पुर्नवास अधिकारी के पद का व अधिकारों का गलत रूप से ग्रहण कर अधिकारों का अनाधिकृत प्रयोग कर आदेश पारित किया गया है। इस प्रकरण को हनुमानगढ भेजे जाने से राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 06.10.2009 का हवाला दिया गया है। राज्य सरकार के इस परिपत्र के पेज नम्बर 2 व 3

पर यह स्पष्ट किया गया है कि निरसित अधिनियम के अन्तर्गत जिन भूमियों का आवंटन किया जा चुका है उनके लम्बित प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही की जानी है या ऐसे प्रकरणों के अधिकार सृजित किये जा चुके है एवं प्रकरण लम्बित है उनका निस्तारण निरस्त अधिनियमों के अन्तर्गत ही किया जाना है। इस परिपत्र में यह स्पष्ट किया जा चुका था कि उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के आधार पर विचाराधीन प्रकरणों का निस्तारण निरसत अधिनियम के अन्तर्गत ही किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त इस परिपत्र में यह भी स्पष्ट कर दिया गया था कि जिन प्रकरणों में अधिकार सृजित या अर्जित नहीं किये गये है उनके बारे में कार्यवाही इस परिपत्र के अनुसार की जानी थी। उक्त प्रकरण में अधिकार पूर्व में सृजित व अर्जित हो चुके थे और प्रकरण अन्तिम निस्तारण हेतु ही लम्बित चल रहा था और ऐसी सूरत में इस प्रकरण का निस्तारण निरसत अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त किये गये अधिकारी ही इस प्रकरण का निस्तारण ही कर सकते थे और वह अधिकारी केवल जिला पुर्नवास अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी राजस्व श्रीगंगानगर ही थे। उक्त प्रकरण में भूमि जलालिया पुत्र रिखीया को बतौर पूर्नस्थापित व्यक्ति उसको पुर्नस्थापन ग्रान्ट के रूप में अलॉट की गयी थी और यह भूमि जलालिया को अपने परिवार के पालन, पोषण करने हेतु आवंटित की हुई थी। जलालिया ने भूमि को आवंटन करवाने हेतु अपने परिवार के रूप में परिवार के सदस्य दर्शाये होंगे परन्तु यह भूमि इन सदस्यों को आवंटित नहीं हुई थी। आवंटिती केवल जलालिया ही थे जियकी सनद केवल जलालिया के नाम से ही जारी की जा सकती थी और ऐसा निर्णय उच्च न्यायालय जोधपुर एवं राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा भी दिया जा चुका है। यह निर्णय आर.आर.डी. 1992 पेज 611 व डब्ल्यू एल एन (यू.सी.) 1974 पेज 12 पर उद्घृत की गयी है। जलालिया के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति के हक में सनद जारी नहीं की जा सकती थी। अधीनस्थ न्यायालय ने जलालिया के वारिसान के अतिरिक्त लाली वगैरा के नाम से भी सनद जारी करने का जो आदेश दिया है वह निरस्त होने योग्य है। भूमि आवंटन के पश्चात जलालिया पुत्र रिखीया के देहान्त के बाद जिला पुर्नवास अधिकारी ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए जलालिया के वारिसान सनद में दर्ज क्रम संख्या 01 से 11 में अंकित व्यक्तियों को जलालिया का वारिस घोषित कर दिया और पुर्नवास अधिकारी ने जलालिया के इन वारिसान के नाम सनद जारी करने का आदेश दे दिया था। लेकिन कार्यालय से जो सनद गलती से बनाई गई उसमें जलालिया के वारिसान क्रम संख्या 1 से 11 जो सही अंकित किये गये थे, के अतिरिक्त क्रम संख्या 12 से 16 के नाम से 5 नाम और जोड़ दिये गये जब यह प्रारूप हस्ताक्षरों के लिए पुर्नवास अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत हुआ तो उन्होने उसमें यह नोट अंकित कर दिया कि एम ओ श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण संख्या 84/85 में दिये गये आदेश दिनांक 17.07.1985 द्वारा निर्णय के अनुसार यह सनद प्रभावी होगी। इससे सनद में क्रम संख्या 12 से 16 पर दर्ज व्यक्तियों को कोई अधिकार नहीं मिले और इनके नाम निष्प्रभावी थे। इसकी पुष्टि चीफ सैटलमेन्ट कमीश्नर ने भी अपने निर्णय दिनांक 9.03.1998 से कर दी थी। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश के बावजूद बिना अवलोकन किये आदेश जेर अपील पारित करने में सख्त गलती की है। जलालिया व बग्गू दोनो भाई अवश्य थे परन्तु जलालिया, बग्गू का बड़ा भाई न होकर बग्गू जलालिया से कई वर्ष बड़ा अवश्य था। इन दोनो का संयुक्त परिवार नही था। दोनो भाई अलग अलग थे। दोनो भाईयों ने अपने अपने नाम से अलग–अलग भूमि आवंटन करवाने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था और इस पर जलालिया को वादग्रस्त कृषि भूमि चक 8 व 9 जेआरके में आवंटित हुई थी और बग्गू को चक 6 पीएसडीए व 9 पीएसडीए रोजड़ी क्षेत्र में घड़साना तहसील में आवंटन हुई थी और यह भूमि आज के दिन बग्गू की मृत्यु के बाद उनके वारिसान के नाम से खातेदारी दर्ज चली आ रही है। अधीनस्थ न्यायालय ने यह भी गलत अंकित किया है कि यदि दोनो भाई अलग–अलग होते तो अलग–अलग आवंटन करवाते। अधीनस्थ न्यायालय ने बग्गू द्वारा अलाटमेन्ट करवायी गयी उक्त भूमि के तथ्य को नजर अन्दाज कर बिना कोई साक्ष्य व रिकॉर्ड के अपना निष्कर्ष निकाल कर गलत निर्णय किया है। भूमि की सारी राशि जलालिया ने खुद अकेले ने ही जमा करवायी है। अलाटमेंट जलालिया को

(प्रशासन) अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशा

उसके नाम से हुआ था। इस भूमि में किसी अन्य का कोई हक नहीं था। बग्गू व उसके परिवार के किसी सदस्य का जलालिया के परिवार में नाम दर्ज नहीं है। जलालिया के भाई के रूप में बखूराम व उसकी पत्नी का नाम दर्ज है। बखूराम बग्गू नहीं हो सकता। लाली जिसे भाई की पत्नी बताया गया वह बखू की पत्नी है लड़का जिसका हवाला दिया गया है वह जलालिया का लड़का है जिसका पूर्व में देहान्त हो चुका था। यह लड़का बखू का भी नहीं था क्योंकि यदि बखू का लड़का होता तो उसे भाई का लड़का दर्शाया जाता जो नहीं दर्शाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने पुर्नवास अधिकारी द्वारा बग्गू को भूमि हिस्सेदार मानकर भूमि विभाजन करने व पृथक कब्जा देने की कार्यवाही कतई अधिकार विहीन थी। सम्भागीय आयुक्त ने आदेश दिनांक 19.04.1985 को भी निरस्त कर दिया है। इस निरस्ती आदेश को अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय का गलत आधार बनाया है। इस अधिकार विहीन आदेश घोषित कर देने के उपरान्त अधीनस्थ न्यायलय ने उक्त अधिकार विहीन भूमि विभाजन व कब्जा देने के आदेश जो निरस्त हो चुका है का सहारा लेकर इस गलत कार्यवाही का आधार मानकर जो आदेश जेर अपील पारित किया है वह निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 19.12.2012 निरस्त फरमाया जावे व जलालिया के वारिसान के नाम सनद की पुष्टि की जावें।

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा निम्न नजीरे पेश की गई :–

1. आर.आर.डी. 1992 पेज– 611 से 613
2. आर.आर.डी. 1990 पेज– 398 से 401
3. डब्ल्यू.एल.एन. (यू.सी.) 1974 पेज– 12 से 16
4. डी.एन.जे. (राज.) 2008(1) पेज– 396 से 399

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि चक 8 जेआरके के पत्थर नम्बर 84/257 के किला नम्बर 1 ता 4 , 6 ता 20, 23 ता 25 की 22 बीघा भूमि व चक 9 जेआरके पत्थर नम्बर 83/257 के किला नम्बर 4 ता 7 , 14 ता 16 की कुल 6.18 बीघा कुल तादादी 28 बीघा 18 बिस्वा भूमि पुर्नस्थापन हेतु आवंटित की गयी थी। अपीलांट जलालिया की मृत्यु के बाद इसकी सनद जलालिया के 11 वारिसान के नाम जारी करने का आदेश दिनांक 17.07.1985 को जिला पुर्नवास श्रीगंगानगर द्वारा दिया गया था जबकि सनद जारी करते समय क्र.स. 12 से 16 के स्थान पर बखुराम , लाली वगैरा का नाम जोड़ दिया गया जिसके विरूद्व सम्भागीय आयुक्त बीकानेर द्वारा अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत पारित निर्णय दिनांक 08.08.2000 से जिला पुर्नवास अधिकारी श्रीगंगानगर को प्रकरण का गुण–दोष के आधार पर निर्णय करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। आदेश दिनांक 08.08.2000 के अनुसरण में यह पत्रावली सम्भागीय आयुक्त बीकानेर द्वारा अपने पत्र कमांक संख्या 712 दिनांक 07.06.2005 से जिला पुर्नवास अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर को प्रेषित की गयी जो इस प्रकरण का निस्तारण करने में सक्षम अधिकारी थे । पुर्नवास विभाग से सम्बन्धित तमाम अधिनियम 2005 के निरसन अधिनियम द्वारा निरसन किये जाने पर राज्य सरकार के पत्र दिनांक 6 अक्टूबर 2009 से प्रकरण प्रभारी पुर्नवास अधिकारी के पत्र कमांक 90 दिनांक 23.04.2010 से यह प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय जिला पुनर्वास अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ को भेज दिया। जिला पुनर्वास अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ को राज्य सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के आधार उक्त विवादित प्रकरण सुनवाई का क्षेत्राधिकारी नहीं था जिसे राजस्व अपील प्राधिकारी,हनुमानगढ ने भी अपने निर्णय दिनांक 05.06.2014 में क्षेत्राधिकार नहीं होना स्वीकार किया है। फलस्वरूप जिला पुनर्वास अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.12.2012 निरस्त किया जाता है। चूंकि " **सम्भागीय आयुक्त, बीकानेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 08.08.2000 द्वारा पेटीशन स्वीकार करते हुए जिला पुर्नवास अधिकारी के आदेश दिनांक 19.04.1985 व 17.07.1985 एवं सनद संख्या 2782 पर पारित आदेश दिनांक 22.06.1987 एवंम चीफ सेटलमेंट कमिश्नर का**

आदेश दिनांक 09.03.1998 निरस्त किये जा चुके है। अतः जिला पुनर्वास अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर को उक्त प्रकरण रिमाण्ड किया जाकर आदेशित किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा पुर्नस्थापन हेतु आवंटित भूमि के सम्बन्ध में जारी नोटिफिकेशन के प्ररिपेक्ष में दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित करें। आदेश की प्रमाणित प्रति जिला पुर्नवास अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ एवं गंगानगर को भिजवाई जावें एवं रिकॉर्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 11.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह पंवार)
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन) श्रीगंगानगर